

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) डाल-02/2014 / राँची, दिनांक
प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

निबंधित/
अत्यावश्यक

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
मेदिनीनगर।

विषय : अमानत बराज के निर्माण हेतु किये गये चार एकरारनामा में जोड़कर इस मद में किये गये अनियमित भुगतान (कुल लगभग 21.03 करोड़ रुपये) के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस विभाग के पत्रांक- 133 दिनांक- 10.01.2018 के द्वारा पत्र में उल्लेखित विषयांकित मामले में श्री नारायण खाँ, श्री सुरजमन शर्मा, श्री प्रधान शिव नारायण प्रसाद तथा श्री रामाशंकर राय, चारों तदेन कार्यपालक अभियंता, औरंगा निर्माण प्रमण्डल, पाँकी के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश संसूचित किया गया था परन्तु अनुलग्नक में श्री रामाशंकर राय, (ID- 943) कार्यपालक अभियंता के स्थान पर श्री रमाशंकर राय, (ID- 2195) सहायक अभियंता का बायोडाटा संलग्न हो गया था।

श्री रामाशंकर राय, तदेन कार्यपालक अभियंता जिनपर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश संसूचित है। अंतिम कैडर विभाजन के फलस्वरूप अधिसूचना सं०- 3734 दिनांक- 04.09.2004 के आलोक में बिहार चले गये थे। जल संसाधन विभाग बिहार पटना से इनका बायोडाटा प्राप्त हुआ है।

अतएव विभागीय पत्रांक- 133 दिनांक- 10.01.2018 में उल्लेखित श्री रामाशंकर राय, (ID- 943) तदेन कार्यपालक अभियंता, औरंगा निर्माण प्रमण्डल, पाँकी के बायोडाटा की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि इसके अनुसार दर्ज काण्ड में इन्हें शामिल करने एवं श्री रमाशंकर राय, सहायक अभियंता (ID- 2195) को Delete / Remove करने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : / राँची, दिनांक

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, औरंगा निर्माण प्रमण्डल, पाँकी शिविर मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 4013 / राँची, दिनांक 24/9/18

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, पलामू/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव